पत्रांक-3ए2-से0पु0- 16/06 - वि0(2)

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार सिंह
उप सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक

विषय- **माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0सं0- 13550/2003 एवं सदृश्य समादेश याचिकाओं एवं एल0पी0ए0 सं0-500/2002 में पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ वित्त विभाग के संकल्प सं0-6758 वि0 (2) दिनांक 05.09.03 में संशोधन के संबंध में ।**

महाश्य,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि वि0प्रा0वि0 के अधीनस्थ एम0 आई0 टी0, मुजफ्फरपुर, बी0सी0ई0, भागलपुर तथा बी0सी0ई0 पटना के शिक्षको के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुशंसित एवं भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमान 01.01.1996 के प्रभाव से वित्त विभाग के संकल्प सं0- 6758 वि0 (2) दिनांक 05.09.2003 द्वारा संसूचित है जिसके द्वारा यह भी निर्णय लिया गया था कि राज्य प्रायोजित/ कालवद्व प्रोन्नति योजनान्तर्गत प्रोन्नत शिक्षकों का वेतन पुनरीक्षण उनके द्वारा धारित मूल कोटि के पद के पुनरीक्षित वेतनमान में किया जायेगा तथा उन्हें मेघा प्रोन्नति योजना एवं कैरियर एडभान्सभेन्ट योजना के तहत समायोजित किया जायेगा ।

कालांतर में संबंधित शिक्षकों के द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय मे सी0डब्लू0जे0सी0सं0- 13550/2003 दायर की गई जिसे माननीय पटना उच्च न्यायालय ने दिनांक 19.09.05 को एल0पी0ए0 सं0- 500/2002 में दिनांक 23.08.05 को पारित न्याय निर्णय के अनुरूप निष्पादित किया है ।

उपर्युक्त वर्णित याचिका/ एल0पी0ए0 में पारित न्यायदेश के अनुपालन में राज्य सरकार के द्वारा सम्यूक विचारोपरान्त वित्त विभाग के संकल्प सं0- 6758 वि0 (2) दिनांक 05. 03.2003 की कंडिका 8,9 तथा 10 को विलोपित करने का निर्णय लिया गया है ।

फलस्वरूप राज्य प्रायोजित प्रोन्नति योजना/ कालवद्व प्रोन्नति योजना के अन्तर्गत प्रोन्नत शिक्षकों को भी मेघा प्रोन्नति योजना के अन्तगर्त प्रोन्नत शिक्षकों की भाँति दिनांक

1017 01.03.1989 तक जो प्रोन्नति हुई है या देय है उसे कायम रखते हुए 01.01.96 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान एवं अन्य वित्तीय लाभ अनुमान्य होंगे ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(सुनील कुमार सिंह)

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक- 6584 वि(2) दिनांक- 1/10/06

प्रतिलिपि- सचिव, वि0लो0से0आ, पटना/ सदस्य सचिव, ए0 आई0 सी0 टी0 ई0, इंदिरा गांधी स्पोर्टस कम्पलेक्स, इन्द्र प्रस्थ स्टेट, नई दिल्ली/ सभी विभाग/ सभी विभागध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/ सभी कोषागार/उपकोषागार पदाधिकारी/ कुल सचिव, पटना विश्वविद्यालय, पटना/ प्राचार्य, एम0 आई0 टी0 मुजफ्फरपुर/ प्राचार्य, बी0 सी0ई0 भागलपुर/ प्राचार्य, सभी राज्य पो0/ सभी रा0म0 पो0/ अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/ वित्त आयुक्त, झारखंड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(सुनील कुमार सिंह)

सरकार के उप सचिव ।